

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण,
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 25 जुलाई, 2022

विषय: उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटित बजट के वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या-319 रा०आ०प्र०प्रा०/2022-23, दिनांक 08 जुलाई, 2022 के माध्यम से किये गये मांग पत्र के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-51 के लेखाशीर्षक-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-06-उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) तथा 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-06-उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में द्वितीय किश्त के रूप में आगामी 04 माह (माह अगस्त, 2022 से नवम्बर, 2022 तक) के व्ययों हेतु उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के वेतन एवं गैर वेतन मद हेतु **रु० 182.77 लाख (रुपये एक करोड़ बयासी लाख सतहत्तर हजार मात्र) की धनराशि** निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रु० में)

क्रम सं०	मानक मद	प्राविधानित धनराशि	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत जाने वाली धनराशि	अवशेष धनराशि
1	सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) 2245-80-800-06-00-20	500.00	125.00	125.00	250.00
2	सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) 2245-80-800-06-00-31	231.08	57.77	57.77	115.54
	योग-	731.08	182.77	182.77	365.54
(रुपये एक करोड़ बयासी लाख सतहत्तर हजार मात्र)					

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।
- (2) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2023 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2022 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (3) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0 42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाय।

भवदीय,

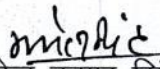
(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्या-1263 (1)/एक-10-2022-33(46)/2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (प्रथम)/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

Allotment Grid Report

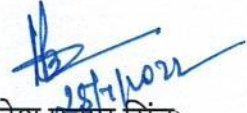
वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-25/07/2022

प्रेषण संख्या:- 1263
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1263
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
80 - सामान्य
800 - अन्य व्यय
06 - उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान प्रगामी	12500000 25000000	5777000 11554000	18277000 36554000
	योग	वर्तमान प्रगामी	12500000 25000000	5777000 11554000	18277000 36554000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ बयासी लाख सतहत्तर हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन करोड़ पैसठ लाख चौवन हजार


(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(अखिलेश प्रताप सिंह)
राहत आयुक्त का कार्यालय
उ० प्र० शासनालय